# सिडबी

# भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम,1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर,15,अशोक मार्ग,लखनऊ -226001

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त छमाही / वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

| विवरण | 31.03.2021 को समाप्त छमाही (लेखापरीक्षित) | पिछले वर्ष 31.03.2020 को समाप्त तदनुरूपी छमाही (लेखापरीक्षित) | 31.03.2021 को समाप्त चालू अवधि के लिए वर्षांत आँकड़े (लेखापरीक्षित) | 31.03.2020 को समाप्त पिछला लेखावर्ष (लेखापरीक्षित) |
|---|---|---|---|---|
| **1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)** | **4704** | **5705** | **10221** | **11021** |
| (क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | 4195 | 5291 | 9055 | 10392 |
| (ख) निवेशों पर आय | 206 | 58 | 680 | 111 |
| (ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज | 303 | 356 | 486 | 518 |
| (घ) अन्य | - | - | - | - |
| 2. अन्य आय | 257 | 246 | 427 | 698 |
| **3. कुल आय (1+2)** | **4961** | **5951** | **10648** | **11719** |
| 4. ब्याज व्यय | 3084 | 3960 | 6543 | 7722 |
| **5. परिचालन व्यय (i)+(ii)** | **241** | **304** | **560** | **607** |
| (i) कर्मचारी लागत | 152 | 201 | 388 | 393 |
| (ii) अन्य परिचालन व्यय | 89 | 103 | 172 | 214 |
| **6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)** | **3325** | **4264** | **7103** | **8329** |
| **7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)** | **1636** | **1687** | **3545** | **3390** |
| 8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय (पुनरांकन पश्चात निवल) | 497 | 162 | 915 | 953 |
| 9. असाधारण मदें | - | - | 518 | 371 |
| **10 सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-) (7-8+9)** | **1139** | **1525** | **3148** | **2808** |
| 11. कर संबंधी व्यय आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात निवल | 275 | 196 | 750 | 493 |
| **12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+)/ हानि(-) (10-11)** | **864** | **1329** | **2398** | **2315** |
| 13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर) | - | - | - | - |
| **14. अवधि का निवल लाभ (+)/ हानि (-) (12-13)** | **864** | **1329** | **2398** | **2315** |
| 15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 16.आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) | 20462 | 18175 | 20462 | 18175 |
| **17. विश्लेषणात्मक अनुपात** | | | | |
| (i) पूँजी पर्याप्तता अनुपात | 27.49% | 26.62% | 27.49% | 26.62% |
| (ii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस) | 16.24 | 24.98 | 45.09 | 43.51 |
| **18) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात** | | | | |
| क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि | 282.31 | 1040.84 | 282.31 | 1040.84 |
| ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि | 185.25 | 658.64 | 185.25 | 658.64 |
| ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का % | 0.18 | 0.63 | 0.18 | 0.63 |
| घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का % | 0.12 | 0.40 | 0.12 | 0.40 |
| च) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत) | 1.33% | 1.36% | 1.33% | 1.36% |

**टिप्पणियाँ :**

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
2) निदेशक मंडल द्वारा 25 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।
3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय', प्रतिलेखन के बाद निवल प्रावधान हैं।
4) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान वर्षांत पर किए गए हैं।
5) असाधारण मद, वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में एक्सचेंज रिस्क फ्लक्चुएशन फंड जेआईसीए-V खाते में (भारत सरकार के अनुमोदनानुसार) प्रत्यावर्तित ₹ 517.86 करोड़ को दर्शाती है, चूंकि अब इसे बही में अग्रानीत करना अपेक्षित नहीं है।
6) भारत में वर्तमान ''दूसरी लहर'' सहित कोविड-19 महामारी बैंक के परिचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी और आस्ति की गुणवत्ता भविष्य की परिस्थिति पर निर्भर करेगी, जो अत्यधिक अनिश्चित है।
7) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में पोर्टफोलियो के कुछ खंडों को जिन्हें आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना था, के लिए ₹174 करोड़ के अतिरिक्त मानक आस्ति प्रावधान किए हैं।
8) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 मार्च, 2020, 17 अप्रैल, 2020 और 23 मई, 2020 के परिपत्रों द्वारा घोषित 'कोविड-19 रेगुलेटरी पैकेज' के निर्देशानुसार बैंक ने सभी पात्र उधारकर्ताओं को इसे पुनर्संरचना माने बिना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच ऋण की किश्तों के भुगतान और/या देय ब्याज सहित इसके भुगतान के स्थगन की पेशकश की थी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने कोविड-19 राहत के लिए ₹ 27.99 करोड़ (वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में ₹13.99 करोड़ और वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के लिए ₹14 करोड़ ) का सामान्य प्रावधान किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, अब इस ₹ 27.99 करोड़ के पूरे कोविड-19 प्रावधान का उपयोग ऐसे खातें के साथ-साथ अन्य खातें, जो वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-निष्पादक आस्ति में तब्दील हो गए हैं, के प्रति विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया गया है।
9) भारतीय रिज़र्व बैंक के 07 अप्रैल, 2021 के परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं को (कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठानेवाले सहित) 'ब्याज पर ब्याज' वापस करेगा/समायोजित करेगा, जिन्होंने अधिस्थगन अवधि के दौरान भले ही अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया हो अथवा नहीं। तदनुसार, ऐसे 'ब्याज पर ब्याज' की राशि की गणना के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अंतिम रूप दी गई पद्धति के अनुसार ऐसे उधारकर्ताओं को वापस/समायोजित की जाने वाली ₹4.72 करोड़ की राशि को 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में प्रभार के रूप में मान्यता दी गई है।
10) एक उधारकर्ता के संबंध में, जो अन्यथा एनपीए बन गया होता किन्तु माननीय एनसीएलटी के आदेश के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया और एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक ने "मानक आस्ति प्रावधान" के तहत ₹ 925.84 करोड़ के पूरे बकाया पर ₹ 277.75 करोड़ का उच्च प्रावधान किया है तथा अप्राप्त ब्याज आय को भी संज्ञान में नहीं लिया है।
11) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।
12) निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति: यथा 01 जनवरी, 2021 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। तिमाही के दौरान, निवेशकों से 6 शिकायतें प्राप्त हुई और 6 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। तदनुसार, यथा 31 मार्च, 2021 को अब कोई शिकायत निस्तारण के लिए लंबित नहीं है।
13) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
14) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
15) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणाम विधिवत लेखापरीक्षित हैं।

**निदेशक मंडल के आदेश से**
ह/-
**(सिवसुब्रमणियन रमण)**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

दिनांक : 25 मई, 2021
स्थान : बेंगलूरु

- SIDBIOfficial
कृपया हमारी वेबसाइट: www.sidbi.in देखें।
@sidbiofficial
size: 16x30